सं0–7/सामुदायिक–09–01/2017– 147(7)ब

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

सच्चिदानंद चौधरी,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

सभी सिविल सर्जन
(संलग्न विवरणी के अनुसार) ।

पटना, दिनांक 05-03-2018

विषयः– स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के अन्तर्गत मांग संख्या 20 अन्तर्गत मुख्य शीर्ष 2210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य–03–ग्रामीण स्वास्थ्य सेवायें– एलोपैथी–110–अस्पताल तथा औषधालय–0001–सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र–विपत्र कोड–20-2210031100001 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017–2018 में वेतन भत्ते मद एवं अन्य मदों में कुल ₹9,81,25,521/–(नौ करोड़ एकासी लाख पच्चीस हजार पॉच सौ इक्कीस रूपये) मात्र का अतिरिक्त आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयांकित शीर्ष/उपशीर्ष/विपत्र कोड अन्तर्गत विभागीय आवंटनादेश संख्या–17(7)ब दिनांक–15.05.17, 36(7)ब दिनांक–20.07.17, 57(7)ब दिनांक–07.09.17, 77(7)ब दिनांक–25.09.17 एवं 105(7)ब दिनांक–05.12.17 के क्रम में संलग्न विवरणी के अनुसार वित्तीय वर्ष 2017–2018 में वेतन भत्ते मद एवं अन्य मदों में कुल ₹9,81,25,521/–(नौ करोड़ एकासी लाख पच्चीस हजार पॉच सौ इक्कीस रूपये) मात्र अतिरिक्त आवंटन दी जाती है । (विवरणी संलग्न)

2. सम्बंधित आवंटनादेश वित्त विभाग के परिपत्र सं0 2561 वि0 (2) दिनांक 17.4.98, परिपत्र 326वि0 दिनांक–2.04.2014 तथा 295वि0 दिनांक–04.03.15 में निहित निदेश के अनुसार व्यय सुनिश्चित किया जाय ।

3. आवंटित राशि की निकासी मांग संख्या 20 अन्तर्गत मुख्य शीर्ष 2210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य–03–ग्रामीण स्वास्थ्य सेवायें– एलोपैथी–110–अस्पताल तथा औषधालय–0001–सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र–विपत्र कोड– 20–2210031100001 अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017–2018 के आय व्ययक आयोजना भिन्न में उपबंधित राशि से किया जायेगा ।

4. सिविल सर्जन अपने स्तर से अधीनस्थ संबंधित प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी संबंधित रेफरल अस्पताल/प्रा0स्वा0केन्द्र में कार्यरत बल के आधार पर वित्तीय वर्ष 2017–18 के वेतन भत्ता तथा अन्य मद के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को उप आवंटन एक मुश्त में करेंगे। उप आवंटन की एक प्रति विभाग को निश्चित रूप से उपलब्ध करायेंगे।

5. सिविल सर्जन एक इकाई से दूसरी इकाई में या एक उपशीर्ष से दूसरे उपशीर्ष में अपने स्तर से राशि का विचलन नहीं करेंगे। इसमें किसी भी तरह की शिथिलता वांछनीय नहीं होगी । इसकी पूरी जबावदेही संबंधित सिविल सर्जन की होगी ।

6. आहार/पथ्य, मशीने एवं उपस्कर, सामग्री एवं पूर्त्तियाँ, दवा भंडार एवं दूरभाष के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सम्बंधित सिविल सर्जन तथा अन्य इकाईयों के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, रेफरल अस्पताल/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा सभी के नियंत्री पदाधिकारी निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना होंगे ।

7. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वीकृति बल के विरूद्ध नियमानुकूल नियुक्त पदाधिकारी/कर्मचारी का ही वेतन भुगतान सुनिश्चित करेंगे तथा इस आशय का प्रमाण–पत्र वेतन विपत्र में भी अंकित करेंगे ।

8. कई पदाधिकारियों/कर्मचारियों के बकाये वेतन का भुगतान नहीं हुआ है जिसके कारण माननीय उच्च न्यायालय के सामने भी कई मामले दायर किये गये हैं । माननीय उच्च न्यायालय ने ऐसे मामलों में यह आदेश पारित किया है कि विभाग देय बकाये वेतनादि का भुगतान शीध्र करे । अतः यह आदेश दिया जाता है कि जिन पदाधिकारियों/कर्मचारियों का बकाया वेतन है वे शपथ पत्र के साथ अपना आवेदन सम्बंधित सिविल सर्जन/क्षेत्रीय अपर निदेशक/निदेशक प्रमुख को देंगे । सिविल सर्जन/क्षेत्रीय अपर निदेशक/ निदेशक प्रमुख निम्नांकित बिन्दुओं पर आवेदन की जाँच कर बकाये वेतनादि का भुगतान करेंगे।

D:\Bug 2017 18 Allot\Kamal\Ref All 5.doc

1. संबंधित पदाधिकारी/कर्मचारी विधिवत वहां पदस्थापित हैं ।
2. विधिवत पदस्थापित होने का सत्यापन कर केवल उसी अवधि का वेतन का भुगतान किया जायेगा जिस अवधि में ये पदाधिकारी वास्तव में कार्य किये हों ।
3. जहाँ तक कर्मचारियों के बकाये वेतनादि के भुगतान का प्रश्न है सिविल सर्जन इस बात का सत्यापन कर लेंगे कि उक्त अवधि का भुगतान पूर्व में नहीं हुआ है।

सिविल सर्जन / क्षेत्रीय अपर निदेशक/निदेशक प्रमुख उपरोक्त शर्त्तों से संतुष्ट होने पर इस आवंटनादेश से बकाये वेतनादि का भुगतान करेंगे । यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि पुनरीक्षित वेतनमान के अन्तर राशि भी सिविल सर्जन सब तरह से संतुष्ट होकर कि, कितनी राशि देय है, का भुगतान इस आवंटन से कर सकते हैं ।

9. यह मात्र आवंटन आदेश है। इसे व्यय की स्वीकृति न समझा जाय। व्यय हेतु निर्धारित वित्त विभाग/ स्वास्थ्य विभाग की प्रक्रिया का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

10. क्रय सम्बंधी कार्य स्वास्थ्य विभागीय पत्रांक–96(9) दिनांक–18.02.99, 142(9) दिनांक–15.03.2001, 241(9) दिनांक–21.05.2002 एवं 379(9) दिनांक–16.08.2002 तथा 73(9) दिनांक 28.1.06 के आलोक में सभी सरकारी औपचारिकताओं को पूरा करते हुए किया जायगा ।

11. संविदा सेवाएँ (28–02) इकाई के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित अस्पताल के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी होंगे ।

12. आवंटित राशि से किए गए क्रय में निर्धारित विहित प्रकिया का पालन करने, उनका सदुपयोग सुनिश्चित करने का पूर्ण उत्तरदायित्व निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का होगा ।

13. इस आवंटनादेश से वेतन भुगतान के क्रम में निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित स्थापना के कर्मचारियों एवं पदाधिकारियों का वेतन भुगतान सुनिश्चित करने के पश्चात ही स्वयं अपने वेतन की निकासी करेंगे ।

14. सामग्री एवं पूर्तियॉ मद में आवंटित राशि से सतरंगी चादर संबंधित भुगतान की राशि भी सम्मिलित है ।

15. संबंधित सिविल सर्जन अपने अधिनस्थ निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी से विहित प्रपत्र में व्यय विवरणी टी0भी0 नं0 एवं तिथि के साथ प्राप्त कर समेकित कर तथा सम्बंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी प्रत्येक माह की 10वीं तारीख तक विभाग को निश्चित रूप से उपलब्ध करायेंगे।

16. इसकी प्रति महालेखाकार बिहार, पटना को भी दी जा रही है ।

विश्वासभाजन,

01/3/18

(सच्चिदानंद चौधरी)
सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक : 147(7)9 पटना, दिनांक : 05-03-18

प्रतिलिपि : महालेखाकार(ले0 एवं ह0) बिहार, पटना/वित्त विभाग बजट शाखा/ सभी संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/ सभी संबंधित जिला पदाधिकारी /सभी संबंधित क्षेत्रीय अपर निदेशक/ सभी संबंधित कोषागार पदाधिकारी/ सभी संबंधित उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि : माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ/प्रशाखा पदाधिकारी–7/आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना एवं कार्यवाह सहायक को पॉच अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ प्रेषित।

01/3/18

सरकार के विशेष सचिव

विवरणी–I

वित्तीय वर्ष 2017–2018 में बिहार स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र उपशीर्ष का वेतन भत्ता एवं अन्य मदों में आवंटन (विपत्र कोड–20–221003110001)

क्रम	जिला का नाम	वेतन (01–01)	जीवन यापन भत्ता (01–03)	मकान भत्ता (01–04)	चिकित्सा भत्ता (01–06)	अन्य भत्ता (01–07)	योग वेतन	चिकित्सा प्रतिपूर्ति (06–01)	यात्रा व्यय (11–01)	कार्यालय व्यय (13–01)	वाहन का ईंधन एवं रखरखाव (13–02)	दूरभाष (13–03)	वर्दी/पोषाक (13–06)	सामग्री एवं पूर्तियाँ (21–01)	दवा भंडार (21–02)	आहार/पथ्य (21–03)	संविदा सेवाएँ (28–02)	मशीने एवं उपस्कर (52–01)	कुल	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	नवादा	1000000	1700000	700000	30000	60000	3490000	0	0	0	0	0	0	1000000	0	0	0	0	4490000	3193/27.11.17
2	सिवान	1000000	1700000	600000	30000	60000	3390000	0	0	10000	0	0	0	500000	0	0	2000000	750000	6650000	2283/18.12.17
3	औरंगाबाद	500000	850000	350000	15000	30000	1745000	0	0	0	0	0	0	0	0	200000	3000000	0	4945000	87/9.1.18
4	भोजपुर	1000000	1700000	700000	30000	60000	3490000	0	0	10000	0	0	0	1000000	2000000	805000	5000000	700000	13005000	3913/16.12.17
5	दरभंगा	1000000	1700000	800000	114200	100000	3714200	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	2000000	0	5724200	2244/29.11.17
6	जमुई	700000	1190000	420000	21000	42000	2373000	0	500	10000	0	0	9000	0	0	0	1000000	0	3392500	3007/22.12.17
7	मुजफ्फरपुर	700000	1190000	490000	21000	42000	2443000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2443000	2916/9.10.17
8	सहरसा	40000	68000	24000	1200	2400	135600	0	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	142600	2270/20.11.17
9	गोपालगंज	500000	850000	350000	15000	30000	1745000	0	0	10000	0	0	20000	1900000	0	0	1000000	750000	5425000	81/9.1.18
10	बेतिया	500000	850000	350000	15000	30000	1745000	0	0	0	0	0	0	800000	0	0	2000000	700000	5245000	2386/11.12.17
11	अररिया	500000	850000	350000	15000	30000	1745000	0	2500	10000	0	0	3416	0	500000	0	150000	0	2410916	1766/12.12.17
12	समस्तीपुर	700000	1190000	420000	21000	42000	2373000	0	0	0	0	0	10000	0	0	0	300000	0	2683000	2543/7.12.17
13	भागलपुर	120000	204000	72000	3600	7200	406800	0	0	10000	0	0	0	180000	2000000	0	0	0	2596800	3504/11.12.17
13	मधुबनी	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	0	0	0	200000	1050000	0	0	0	1260000	2863/5.12.17
14	कटिहार	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2000000	0	0	0	2000000	2068/14.12.17
15	सीतामढ़ी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2500000	0	1500000	0	4000000	3065/14.12.17
16	पूर्णिया	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2000000	0	5000000	0	7000000	3183/14.12.17
17	रोहतास	0	0	0	0	0	0	159163	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	159163	2957/23.12.17
18	मोतिहारी	500000	781000	250000	25000	23000	1579000	0	0	10000	0	0	10000	0	500000	0	0	0	2099000	3217/27.12.17
19	सारण,छपरा	590000	1500000	279000	29500	27140	2425640	0	0	0	0	0	0	400000	0	0	1800000	0	4625640	50/8.1.18
20	पटना	1200000	2040000	720000	60000	180160	4200160	39561	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	4259721	190/9.1.18
21	सुपौल	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1500000	0	5000000	0	6500000	121/1.2.18
22	नालन्दा	0	0	0	0	0	0	191481	0	0	0	0	0	0	2000000	0	0	0	2191481	50/3.1.18, 527/19.2.18
23	कैमूर	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	37500	25000	0	100000	2000000	0	2000000	705000	4877500	1472/15.12.17
	कुल	10550000	18363000	6875000	446500	765900	37000400	390205	3000	127000	37500	25000	52416	6080000	18050000	1005000	31750000	3605000	98125521	

(नौ करोड़ एकासी लाख पच्चीस हजार पाँच सौ इक्कीस) रू0 मात्र

147(7)9
05-03-18

01/3/18

सरकार के विशेष सचिव

उपबंध की स्थिति

क्रमांक	प्राथमिक इकाई एवं कोड	बजट उपबंध	पूर्व में आवंटित राशि	वर्तमान आवंटित राशि	कुल आवंटित राशि	अवशेष राशि
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1	वेतन (0001–01–01)	245000000	234450000	10550000	245000000	0
2	जीवन यापन भत्ता (0001–01–03)	304500000	286137000	18363000	304500000	0
3	मकान किराया भत्ता (0001–01–04)	35000000	28125000	6875000	35000000	0
4	चिकित्सा भत्ता (0001–01–06)	2827000	2380500	446500	2827000	0
5	अन्य भत्ता (0001–01–07)	11673000	10907100	765900	11673000	0
6	त्यौहार अग्रिम (0001–01–08)	1000000	0	0	0	1000000
	योग 20-2210.03.110.0001.01 वेतन	**600000000**	**561999600**	**37000400**	**599000000**	**1000000**
6	चिकित्सा प्रतिपूर्ति (0001–06–01)	1000000	25390	390205	415595	584405
7	यात्रा व्यय (0001–11–01)	200000	197000	3000	200000	0
8	कार्यालय व्यय (0001–13–01)	750000	534000	127000	661000	89000
9	वाहन का ईंधन एवं रख रखाव (0001–13–02)	100000	62500	37500	100000	0
10	दूरभाष (0001–13–03)	3000000	1450000	25000	1475000	1525000
11	विद्युत प्रभार (0001–13–04)	12000000	12000000	0	12000000	0
12	विधि प्रभार (0001–13–05)	500000	481000	0	481000	19000
13	वर्दी/ पोषाक (0001–13–06)	593000	413000	52416	465416	127584
14	प्रशिक्षण व्यय (0001–20–03)	3500000	0	0	0	3500000
15	सामग्री एवं पूर्तियाँ (0001–21–01)	15000000	8920000	6080000	15000000	0
16	दवा भंडार (0001–21–02)	143000000	124950000	18050000	143000000	0
17	आहार/ पथ्य (0001–21–03)	20000000	18995000	1005000	20000000	0
18	अनुरक्षण एवं मरम्मत (0001–27–02)	1000	0	0	0	1000
19	संविदा सेवाएँ (0001–28–02)	200000000	158250000	31750000	190000000	10000000
20	मशीने एवं उपस्कर (0001–52–01)	9300000	5695000	3605000	9300000	0
	कुल योगः–	**1008944000**	**893972490**	**98125521**	**992098011**	**16845989**

147(7)9
05-03-18

सरकार के विशेष सचिव 01/3/18